भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2638

05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसान उत्पादक संगठन

2638. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 10,000 एफपीओ योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त महिला नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या विशेषकर कृषि उत्पादन में संलग्न महिला किसानों और स्वयं सहायता समूहों को लक्षित कर रही कोई शून्य या कम ब्याज दर वाली ऋण योजना कार्यान्वित है और इसका कवरेज कितना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु, विशेषकर करूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में एमकेएसपी और पीएम-एफएमई जैसी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रशिक्षण, विपणन और फसल की कटाई-पश्चात् सहायता का ब्यौरा क्या है और कितनी महिला किसान लाभान्वित हुई हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन एवं संवर्धन हेतु केंद्रीय क्षेत्रक योजना के तहत, प्रत्येक एफपीओ के निदेशक मंडल (बीओडी) में कम से कम एक महिला सदस्य होती है। दिनांक 30.06.2025 तक, 1663 एफपीओ 100% महिला सदस्यों के रूप में पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, 949 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) में 50% से अधिक महिला सदस्य हैं। महिलाओं द्वारा संचालित एफपीओ का राज्यवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन योजना के तहत, महिलाओं द्वारा संचालित एफपीओ सहित एफपीओ के लिए संस्थागत ऋण पहुंच की सुविधा के लिए एक समर्पित क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफ) की स्थापना की गई है। दिनांक 30.06.2025 तक 2,360 एफपीओ को कवर करते हुए 3,212 क्रेडिट गारंटी जारी की गई हैं, जिसमें 708.26 करोड़ रुपए की स्वीकृत ऋण राशि और 593.75 करोड़ रुपए का गारंटी कवर शामिल है।

(ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) केंद्रीय प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों औपचारिकीकरण (पीएम-एफएमई) योजना को क्रियान्वित कर रहा है। उक्त योजना के अंतर्गत, तमिलनाडु में महिला किसानों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, उद्यमिता विकास, सीड पूंजी सहायता और ब्रांडिंग समर्थन के माध्यम से प्रशिक्षण, विपणन और फसलोपरांत सहायता प्राप्त हुई है। पीएम-एफएमई योजना के अंतर्गत, दिनांक 30 जून 2025 तक, तमिलनाडु में महिलाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए ₹362.26 करोड़ के 8,989 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इनमें करूर जिले में ₹79.13 करोड़ के 148 ऋण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य भर में 29,542 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को सीड पूंजी सहायता उपलब्ध करवाई गई है, जिनमें से करूर में 689 सदस्यों को ₹261.11 करोड़ की सहायता मिली। महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) सहित कृषि क्षेत्र में, तमिलनाडु में 9,14,048 महिला किसानों और करूर जिले में 87,512 महिला किसानों को एग्रो इकोलॉजिकल पद्धतियों और फसलोंपरांत प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया गया है।

अनुबंध

महिलाओं द्वारा संचालित एफपीओ का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**100% महिला शेयरधारकों वाले एफपीओ**	**एफपीओ में 50% से अधिक महिला सदस्य**
1	अंडमान एवं निकोबार	3	2
2	आंध्र प्रदेश	228	45
3	अरुणाचल प्रदेश	23	58
4	असम	78	70
5	बिहार	84	77
6	छत्तीसगढ़	35	20
9	गोवा	0	1
10	गुजरात	30	5
11	हरियाणा	24	2
12	हिमाचल प्रदेश	47	21
13	जम्मू एवं कश्मीर	34	22
14	झारखंड	117	60
15	कर्नाटक	61	12
16	केरल	2	1
17	लद्दाख	4	5
19	मध्य प्रदेश	69	43
20	महाराष्ट्र	92	16
21	मणिपुर	4	31
22	मेघालय	11	35
23	मिजोरम	0	8
24	नागालैण्ड	8	30
25	ओडिशा	102	89
26	पुडुचेरी	1	1
27	पंजाब	11	6
28	राजस्थान	76	9
29	सिक्किम	0	2
30	तमिलनाडु	60	111
31	तेलंगाना	359	20
32	त्रिपुरा	6	8
33	उत्तर प्रदेश	48	63
34	उत्तराखंड	19	56
35	पश्चिम बंगाल	27	20
	कुल	**1663**	**949**

*****